GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF RAILWAYS (RAILWAY BOARD)

No.2019/F(C)/22/1

New Delhi, dated: 2 7.01.2022

The Chief Secretaries
All State Governments,
& Union Territories.

Sub:- Payment of commission charges by the State Governments and Ministries of the Government of India for the continuance of the Railway Warrants and Credit Note facilities.

Sir,

I am directed to invite a reference to this Ministry's endorsement No.2019/F(C)/22/1 dated 20/01/2021wherein the rates of commission charges for Railway Warrants and Credit Note facilities, etc. were last revised. In view of steep hike in the staff cost in collection of these charges, the Ministry of Railways have decided to effect an increase in the existing rates of commission charges on Railway Warrants and Credit Note facilities, etc. as under:-

S.No.		Current Rates effective from 01/01/2021 (in Rs.)	Revised Rates effective from 01/01/2022 (in Rs.)
1	Charges for Railway Warrants and Credit Note facilities (for 100 vouchers)	₹ 30,425/-	₹ 30,535/-₹(Thirty Thousand Five Hundred Thirty Five only)

Zonal Railways are being advised to raise debits against the State Government/Ministries etc. on the revised rates from 01/01/2022. Suitable instructions on the subject may please be issued to your Accounts Office to admit debits at the revised rates. A copy of the instruction issued in this regard by your Government may also be endorsed to this Ministry. These rates will remain in force for a period of one year or till the revised rates are communicated.

Receipt of this communication may kindly be acknowledged.

Yours faithfully,

(Rajat Agarwal) Joint Dir.Fin(Comml.)-1

New Delhi, dated: 27, 01.2022

Copy to all Ministries of the Government of India with the request that they may also please issue necessary instructions to their Accounts Officers under advice to this Ministry to admit debits at the revised rates. For Military Warrants for individuals on Warrant IAFT-1752 for journeys by 2nd class other than those for the General reserved Engg. Force (Border Roads), 50% concessions of commission charges already in force would continue.

The receipt of this may please be acknowledged.

(Rajat Agarwal) Joint Dir.Fin.(Comml)-1

New Delhi, dated: 24/01/2022

No. 2019/F(C)/22/1

Copy to:-

1. The General Manager All Indian Railways.

2. The PFAs, All Indian Railways.

Rajat Agarwal)

Joint Dir.Fin.(Comml.)-1

No.2019/F(C)/22/1

NewDelhi, dated: 27-/01/2022

Copy to:- DAI(Railways), New Delhi for information (With 100 spares).

For Finance Commissioner (Railways)

Copy to all Traffic Commercial and Accounts Branches of Board's office.

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS (रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

सं. 2019/एफ(सी)/22/1

नई दिल्ली, दिनांक 27/01/2022

मुख्य सचिव, सभी राज्य सरकारें एवं केन्द्र शासित प्रदेश।

> विषय:-रेलवे वारंट और क्रेडिट नोट सुविधाओं को जारी रखने के लिए राज्य सरकारों और भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा कमीशन प्रभार का भुगतान करना।

महोदय,

मुझे इस मंत्रालय के दिनांक 20/01/2021 के पत्र सं. 2019/एफ(सी)/22/1 का हवाला देने का निदेश हुआ है, जिसमें रेलवे वारंटों और क्रेडिट नोट सुविधाओं आदि पर कमीशन प्रभार की दरों को आखिरी बार संशोधित किया गया था। इन प्रभारों को एकत्रित करने में कर्मचारी लागत में हुई अत्यधिक वृद्धि को देखते हुए, रेल मंत्रालय ने रेलवे वारंटों और क्रेडिट नोट सुविधाओं आदि पर कमीशन प्रभारों की मौजूदा दरों में निम्नानुसार वृद्धि करने का विनिश्चय किया है:-

क्रम सं.	3	01/01/2021 से प्रभावी	01/01/2022 से प्रभावी
		वर्तमान दर (रुपये में)	संशोधित दर (रुपये में)
1	रेलवे वारंटों और क्रेडिट नोट सुविधाओं के लिए प्रभार (100 वाउचरों के लिए)	, ,	30,535 रुपए (केवल तीस हज़ार पाँच सौ पैंतीस रुपए मात्र)

क्षेत्रीय रेलों को 01/01/2022 से संशोधित दरों पर राज्य सरकार/मंत्रालयों आदि पर डेबिट प्रस्तुत करने के लिए कहा जा रहा है। कृपया इस विषय पर अपने लेखा कार्यालयों को संशोधित दरों पर डेबिट स्वीकार करने के लिए उपयुक्त अनुदेश जारी करें। इस संबंध में आपकी सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेश की एक प्रति इस मंत्रालय को भी भेजें। ये दरें एक वर्ष की अविध तक अथवा संशोधित दरें संसूचित किए जाने तक प्रभावी रहेंगी।

कृपया इस पत्र की पावती दें।

भवदाय

(रजत अग्रवाल)

संयुक्त निदेशक/वित्त(वाणिज्यिक)-1

भारत सरकार के सभी मत्रांलयों को इस अनुरोध के साथ कि वे अपने लेखा अधिकारियों को संशोधित दरों पर डेबिट स्वीकार करने के लिए भी आवश्यक अनुदेश जारी करें और इसकी सूचना इस मंत्रालय को भी दें। जनरल रिजर्व इंजीनियरी बल (बॉर्डर रोड) के अलावा, अन्य के लिए दूसरी श्रेणी द्वारा वारंट आईएएफटी-1752 पर यात्रा करने वाले व्यक्तियों के लिए मिलिट्री वारंट के लिए, पहले से ही लागू कमीशन प्रभार की 50% की रियायत जारी रहेगी।

कृपया इस पत्र की पावती दें।

(रजत अग्रवाल)

संयुक्त निदेशक/वित्त(वाणिज्यिक)-1

सं. 2019/एफ(सी)/22/1

नई दिल्ली, दिनांक 27/01/2022

प्रतिलिपि प्रेषित:-

- 1. महाप्रबंधक सभी भारतीय रेलें।
- प्रधान वित्त सलाहकार, सभी भारतीय रेलें।

(रजत अग्रवाल)

संयुक्त निदेशक/वित्त(वाणिज्यिक)-1

सं. 20019/एफ(सी)/22/1

नई दिल्ली, दिनांक 27/01/2022

प्रतिलिपि प्रेषित: डीएआई (रेलें), नई दिल्ली को सूचनार्थ (100 अतिरिक्त प्रतियों सहित)

कृते वित्त आयुक्त (रेलें)

बोर्ड कार्यालय की सभी यातायात वाणिज्यिक और लेखा शाखाओं को प्रेषित